

# वसंत कुंज खेल परिसर वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070

क्रमांक SP/VKSC/0021/2021/F1/-VKSC/4694

दिनांक: 23.02.2025

## एन आई पी नंबर 01/वी के एस सी/डी डी ए/2024-25

### तैराकी कोचिंग प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित

### वसंत कुंज खेल परिसर में

वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (वीकेएससी) का स्विमिंग पूल जल्द ही जनता के लिए खुलने की संभावना है। स्विमिंग पूल में कोचिंग देने की आवश्यकता है।

प्रमुख खेल परिसरों/मनोरंजक क्लबों आदि में तैराकी कोचिंग संचालित करने का पर्याप्त अनुभव रखने वाले व्यक्तियों/एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए, वसंत कुंज, नई दिल्ली में तैराकी कोचिंग प्रदान करना। कोचिंग का संचालन प्रातः 09:00 बजे से किया जाना है। पूर्वाह्न 11:00 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक परिसर द्वारा अधिसूचित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह में छह दिन। कोच उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति/एजेंसी के पास तैराकी में विशेष विशेषज्ञता होनी चाहिए और कोच को की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

कोचिंग के लिए अनुबंध देने के लिए बोर्ड के नियम और शर्तें नीचे दिए गए पैराग्राफ में दी गई हैं:

#### पूर्व योग्यता मानदंड

1. जिन व्यक्तियों/एजेंसियों को प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्राप्त ऐसे किसी भी प्रस्ताव को पार्टी को सूचित किए बिना सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, उसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने/किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी व्यक्ति/एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो।
2. वर्जित प्रशिक्षकों को शामिल करने वाला कोई भी व्यक्ति/एजेंसी भी रेंडरिंग प्रक्रिया में वंचित होने के लिए उत्तरदायी है और उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. किसी भी व्यक्ति/एजेंसी को पूल के डेक क्षेत्र के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया है, उसे उसी परिसर में कोचिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

#### योग्यता एवं अनुभव

1. आवेदक को पिछले तीन वर्षों में सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों/या प्रतिष्ठित निजी एजेंसियों द्वारा संचालित पूल/क्लब/स्कूल/संस्थानों में समान प्रकृति के दो कार्य निष्पादित करने चाहिए, जिनके पास ऐसे संस्थानों को चलाने के लिए सरकार की मंजूरी है। बोली के साथ विभाग/संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा। जहां अनुभव किसी स्कूल का है, वहां स्कूल को प्रमाणित करना चाहिए कि पूल या तैराकी की सुविधा उसके परिसर में थी या उसके द्वारा संचालित थी। दावे के समर्थन में प्रशंसापत्र संलग्न करना होगा।
2. वास्तविक कोचिंग प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित कोचों को एसएआई / एनआईएस / वाईएमसीए / सेना / नौसेना / वायु सेना खेल संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से कोचिंग योग्यता प्राप्त करनी होगी। डीडीए उन

मामलों में उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारी की साख सत्यापन योग्य नहीं है। आवेदक को सभी प्रशिक्षकों के सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि आवेदक दो साल या उससे अधिक समय तक किसी तैराकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय चैंपियन रहा हो या तीन या अधिक अवसरों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो तो डीडीए द्वारा मानदंडों में छूट दी जा सकती है। ऐसी भागीदारी का प्रमाण आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति का कोचिंग अनुभव तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जहां भी व्यक्ति द्वारा कोचिंग संचालित की गई हो, कोचिंग संचालित करने का प्रमाण संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा।

3. अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्ताव के साथ प्रशंसापत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

4. उन योग्य व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो परिसर में व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करने का कार्य करते हैं।

### **पुरस्कार की शर्तें**

1. पुरस्कार की अवधि औपचारिक पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने और पूल के बंद होने की तारीख के आधार पर छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए होगी। डीडीए के पास पूल को तय समय से पहले बंद करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे बंद होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

2. कोचिंग का समय, अवधि आदि। परिसर के सचिव द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगा।

3. एक शिफ्ट में प्रत्येक 10 प्रशिक्षकों पर एक कोच होगा। यदि प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ती है, या किसी अन्य कारण से परिसर को आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति/एजेंसी अल्प सूचना पर अतिरिक्त प्रशिक्षक उपलब्ध कराएगी।

4. किसी भी नाबालिग की सगाई नहीं होनी चाहिए।

5. कोच/व्यक्ति/एजेंसी कॉम्प्लेक्स के सचिव के आदेश/निर्देशों के अनुसार अपना काम करेगी। मौखिक निर्देश सहित जारी किए गए ऐसे सभी निर्देश और आदेश, सभी प्रस्तावों के लिए व्यक्ति/एजेंसी को जारी किए गए माने जाएंगे।

6. प्रशिक्षक को कार्यक्रम में सदस्यों/प्रतिभागियों के प्रति विनम्र और विनम्र होना चाहिए। कार्य से सम्मानित व्यक्ति/एजेंसी यह सुनिश्चित करने का दायित्व लेती है कि उसके कर्मचारी सभी उपयोगकर्ताओं और शिष्टाचार के प्रति उचित शिष्टाचार बनाए रखेंगे और स्विमिंग पूल में संचालन के लिए अनुकूल वातावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

7. सदस्यों के संबंध में समस्याओं या कठिनाइयों को कॉम्प्लेक्स स्टाफ के ध्यान में लाया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कोच ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो कॉम्प्लेक्स में मर्यादा के विपरीत हो। अनुशासन/सुरक्षा चिंताओं के उल्लंघन के मामले भी घटित होने पर तुरंत और यदि आवश्यक हो तो लिखित रूप में जटिल प्रशासन को सूचित किए जाएंगे।

8. यदि कोच का आचरण संतोषजनक नहीं है और अनुशासन का उल्लंघन हुआ है तो कॉम्प्लेक्स को उसे हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

9. कोच को कॉम्प्लेक्स के सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित वर्दी पहननी चाहिए। बिना वर्दी के उपस्थित होने वाले कोच को ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा।

10. तैराकी कोचिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ताओं को किसी भी चोट/जीवन की हानि/अप्रिय घटना के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। कोच को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सभी सुरक्षा सावधानियां बरती जाएं और यदि ऐसी स्थिति उसके नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न होती है तो वह उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो।

11. सभी कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन और कॉम्प्लेक्स के सचिव की पुष्टि के बाद ही रखा जाएगा।

12. डीडीए द्वारा निर्धारित कोचिंग शुल्क, जिसकी पुष्टि कॉम्प्लेक्स से की जा सकती है, प्रशिक्षकों से प्रति माह प्रति घंटा निर्धारित दर के अनुसार लिया जाएगा। इसमें पूल के उपयोग के लिए कोई भी शुल्क शामिल नहीं है जो कोचिंग अनुबंध के दायरे में नहीं है।

13. कोचिंग का समय और अवधि डीडीए की कोचिंग नीति के अनुसार होगी और इन्हें डीडीए के विवेक पर बदला जा सकता है।

14. कोच निर्धारित समय पर उपस्थित रहेगा और यदि कोच ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाता है तो व्यक्ति/एजेंसी पर ₹ 1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोच अपने नियंत्रण से परे कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ है या अनुपस्थिति की छुट्टी की आवश्यकता है, तो सचिव से लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी और प्रशिक्षकों को सूचित किया जाएगा। डीडीए किसी भी

अनुपस्थिति के लिए कोच को भुगतान किए गए हिस्से से एक आनुपातिक राशि काटने के लिए उत्तरदायी है जो एक समय में दो दिनों से अधिक और अनुबंध की पूरी अवधि में 10 दिनों तक फैली हुई है।

15. उस अवधि के दौरान, जब व्यक्ति/एजेंसी का कोच/कर्मचारी काम पर है, होने वाली कोई भी हानि/क्षति/चोरी, व्यक्ति/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी और डीडीए व्यक्ति/एजेंसी से राशि वसूल करने का हकदार होगा। एजेंसी।

16. कोचिंग 50:50 राजस्व साझेदारी के आधार पर होगी (व्यक्ति/एजेंसी को 50% और डीडीए को 50%)। कोचिंग अवधि के दौरान एक महीने के दौरान एकत्र किया गया शुल्क क्रमशः व्यक्ति/एजेंसी और कॉम्प्लेक्स के बीच साझा किया जाएगा। व्यक्तिगत/एजेंसी के हिस्से का भुगतान कोचिंग के महीने की समाप्ति के बाद मासिक आधार पर किया जाएगा।

17. व्यक्ति/एजेंसी/कोच को सभी भुगतान केवल चेक के माध्यम से किया जाएगा। कोच/व्यक्ति/एजेंसी के हिस्से से आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ काट ली जाएंगी।

18. आवश्यक कटौतियों के बाद कोचिंग का लाभ उठाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या के लिए हकदार हिस्से को छोड़कर अतिरिक्त नोटिंग का भुगतान किया जाएगा।

19. सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, व्यक्ति/एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया कोच या उसके जैसे कर्मि व्यक्ति/एजेंसी के कर्मचारी होंगे। व्यक्ति/एजेंसी ऐसे कर्मियों को सभी स्वीकार्य और/या अनुषंगी लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण व्यक्ति/एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों के किसी भी दावे के भुगतान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

20. जहां कोई व्यक्ति/एजेंसी कोच उपलब्ध कराने का कार्य करता है, उसे एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोच को भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अवधि के दौरान लागू दरों के अनुसार किया गया है। दावे का।

21. प्रस्तावक इसके द्वारा स्वीकार करता है कि उसने आज तक संशोधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है, जिनमें न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।, ईपीएफ योजना के साथ, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि। और एक ओर निविदाकर्ता/ठिकेदारों और दूसरी ओर उनके कर्मचारियों के बीच नियुक्ता, कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करने वाले उपरोक्त कानूनों और अन्य सभी कानूनों के सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का वचन देता है। पार्टियों ने स्पष्ट रूप से समझा और स्वीकार किया है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन या अन्यथा के लिए डीडीए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा और निविदाकर्ता/ठिकेदार गैर-अनुपालन के सभी परिणामों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त वैधानिक प्रावधान और निविदाकर्ता/ठिकेदारों और उसके/उनके कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रासंगिक प्रावधान और डीडीए का कोई दायित्व नहीं होगा और डीडीए को उपरोक्त कानूनों के समर्थन या अन्यथा के लिए निविदाकर्ता/ठिकेदारों के कर्मचारी के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी।

22. कोच, या व्यक्ति/एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के मामले में, आयुक्त (खेल) के आदेश अंतिम होंगे और कोच/व्यक्ति/एजेंसी पर बाध्यकारी होंगे और उन्हें बुलाया नहीं जाएगा। किसी भी मंच से पहले प्रश्न। किसी भी विवाद के मामले में, उचित नोटिस देने और व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप से सुनवाई के बाद आयुक्त (खेल) के आदेश अंतिम और कोच/व्यक्ति/एजेंसी पर बाध्यकारी होंगे।

### **प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज़**

1. प्रस्ताव में पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंकों के लिए केवाईसी मानदंडों में निर्धारित निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, कोचिंग प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ व्यक्तियों का संक्षिप्त बायोडाटा शामिल होना चाहिए। खेल उपलब्धियों की प्रशंसापत्र, यदि कोई हो, भी संलग्न किया जाना चाहिए।

2. आवेदक और डिप्टी बनने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक कोच की पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की दो प्रतियां जमा की जाएंगी।

3. किसी व्यक्ति/एजेंसी के मामले में, स्वामित्व विवरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों के आयकर रिटर्न संलग्न किए जाएंगे। किसी कंपनी के मामले में, आरओसी को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न के साथ निदेशकों और प्राथमिक शेयरधारकों की सूची संलग्न की जानी चाहिए।

4. व्यक्तिगत आवेदकों को पिछले चार वर्षों में कम से कम दो मूल्यांकन आदेशों के साथ पिछले दो वर्षों के लिए अपना आयकर रिटर्न जमा करना होगा।

5. संलग्न चेकलिस्ट विधिवत पृष्ठांकित प्रस्तुत की जाएगी।

## प्रस्ताव पर विचार

1. आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
2. किसी भी सशर्त प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
3. डाक/कूरियर आदि द्वारा प्राप्त कोई भी प्रस्ताव। अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. प्रस्ताव की वैधता सीलबंद प्रस्तावों के खुलने की तारीख से 60 दिन है।
5. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह किसी भी मंच, अदालत या कानून आदि के समक्ष संदिग्ध नहीं होगा।

प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 06.02.2025 अपराह्न 3:00 बजे तक है। प्रस्तावों को निम्नलिखित पते पर कॉम्प्लेक्स के रिसेप्शन पर दिए गए टेंडर बॉक्स में एक सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है।

सचिव,

वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए

सेक्टर: डी-2, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070

फ़ोन: 011 – 26136731/32

ईमेल: vkscdda@gmail.com

प्रस्ताव 06.02.2025 को अपराह्न 3:30 बजे खोला जाएगा। उसी परिसर में उन सभी की उपस्थिति में जिन्होंने अपने प्रस्ताव जमा किये हैं।

-Sd/-

आर ई/वी के एस सी

प्रतिलिपि: (ईमेल के माध्यम से):

1. सचिव (समन्वय), खेल विंग
2. निर्देशिका (सिस्टम), डीडीए - डीडीए वेबसाइट
3. सभी सचिव, डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स - कॉम्प्लेक्स नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें

-Sd/-

आर ई/वी के एस सी

**प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच सूची (अनुलग्नक-I)**

| Sl. No. | Documents to be submitted   | Submitted | Not Submitted | Remarks |
|---------|---|-----------|---------------|---------|
| 1       | Copy of registration of Firms/ Partnership Deed/ Society Registration Certificate |           |               |         |
| 2       | Brief Bio Data of Individual Applicant or Individual/ agency/ partnership profile |           |               |         |
| 3       | Copy of PAN Card  |           |               |         |
| 4       | Proof of Identity of Individual (Aadhar Card/ Voter Card)                         |           |               |         |
| 5       | Proof of Residence (Voter Card/ Bank Certificate/ Utility Bill)                   |           |               |         |
| 6       | Proof of experience   |           |               |         |
| 7       | Bio Data and qualification of coaches   |           |               |         |
| 8       | Photographs of coaches  |           |               |         |
| 9       | Identity proof of Coaches   |           |               |         |
| 10      | Residence proof of Coaches  |           |               |         |
| 11      | Testimonials of Performance at International / National/ State Level              |           |               |         |
| 12      | Copy of Income Tax Return for last two years                                      |           |               |         |
| 13      | Last 2 Years audited statement from Chartered Accountant                          |           |               |         |
| 14      | Income Tax Assessment Order   |           |               |         |
| 15      | Other Documents (Specify Below)   |           |               |         |

**अन्य कागजात**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर प्रतिष्ठान की मुहर

| Sl. No. | Documents to be submitted   | Submitted | Not Submitted | Remarks |
|---------|---|-----------|---------------|---------|
| 1       | Copy of registration of Firms/ Partnership Deed/ Society Registration Certificate |           |               |         |
| 2       | Brief Bio Data of Individual Applicant or Individual/ agency/ partnership profile |           |               |         |
| 3       | Copy of PAN Card  |           |               |         |
| 4       | Proof of Identity of Individual (Aadhar Card/ Voter Card)                         |           |               |         |
| 5       | Proof of Residence (Voter Card/ Bank Certificate/ Utility Bill)                   |           |               |         |
| 6       | Proof of experience   |           |               |         |
| 7       | Bio Data and qualification of coaches   |           |               |         |
| 8       | Photographs of coaches  |           |               |         |
| 9       | Identity proof of Coaches   |           |               |         |
| 10      | Residence proof of Coaches  |           |               |         |
| 11      | Testimonials of Performance at International / National/ State Level              |           |               |         |
| 12      | Copy of Income Tax Return for last two years                                      |           |               |         |
| 13      | Last 2 Years audited statement from Chartered Accountant                          |           |               |         |
| 14      | Income Tax Assessment Order   |           |               |         |
| 15      |   |           |               |         |
| 16      |   |           |               |         |
| 17      |   |           |               |         |
| 18      |   |           |               |         |
| 19      |   |           |               |         |
| 20      |   |           |               |         |

मुल्यांकन शीट

| Sl. No | Criteria                   | AE (Civil) | AAO      | Secretary |
|--------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| 1.     | Debarred individual/agency | Yes / No   | Yes / No | Yes / No  |
| 2.     | Debarred Individual        | Yes / No   | Yes / No | Yes / No  |
| 3.     | Deck Area Contract         | Yes / No   | Yes / No | Yes / No  |
|        | Signatures                 |            |          |           |

| Sl. No. | Criteria   | Marks/ Weightage | Scoring Guide  | Marks Awarded |
|---------|--|------------------|--|---------------|
| 1.      | Experience in years  | 15               | (0 for 2 years, 5 for 3 years and 1 for each addl year , max 15) |               |
| 2.      | NIS Qualified/ Armed Forces Certified                                  | 10               | Only one to be awarded   |               |
| 3.      | Other equivalent Qualifications  | 5                | Only one to be awarded   |               |
| 4.      | International Experience   | 10               |  |               |
| 5.      | National Experience  | 5                |  |               |
| 6.      | State Experience   | 2                |  |               |
| 7.      | Applicant will coach   | 15               |  |               |
| 8.      | Satisfactory Performance Certificate from DDA/ Govt. Agency            | 20               | 5 point for each year max of 20                                  |               |
| 9.      | Satisfactory Performance certificate from Hotel/ School/Private Agency | 18               | 3 point for each year max of 18                                  |               |
|         | Total  | 100              |  |               |

सचिव/वी के एस सी

ए ए ओ/वी के एस सी

आर ई/वी के एस सी